



कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

Dated 28-11-19

File No. 120/CEO/SVEEP/VSQ/2019/69869-71

सेवा में

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

विषय:-

अतारांकित प्रश्न संख्या 135, श्रीमती प्रमिला टोकस द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिनांक 03.12.2019 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

इस कार्यालय से सम्बन्धित उपरोक्त प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित हैं।

प्रश्न	उत्तर																		
क. आरपुरम विधान सभा क्षेत्र में कुल .के. कितने मतदाता हैं, पूर्ण विवरण दें;	आरपुरम विधान सभा.के. - 44 में कुल 155902 मतदाता हैं।																		
ख- आरपुरम विधान सभा क्षेत्र में .के. पिछले पाँच वर्षों में कितने मतदाताओं के नाम काटे गये;	आरपुरम विधान सभा.के. - 44 में पिछले गत पाँच वर्षों में काटे गए मतदाताओं के नामों की संख्या निम्न है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>साल</th> <th>काटे गए मतदाता की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2015</td> <td>18749</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2016</td> <td>1835</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2017</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2018</td> <td>1315</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2019</td> <td>2287</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	साल	काटे गए मतदाता की संख्या	1	2015	18749	2	2016	1835	3	2017	806	4	2018	1315	5	2019	2287
क्र.स.	साल	काटे गए मतदाता की संख्या																	
1	2015	18749																	
2	2016	1835																	
3	2017	806																	
4	2018	1315																	
5	2019	2287																	
ग- नाम काटने का कारण भी वार्षिक रूप से विस्तार में बताया जाए;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>साल</th> <th>नाम विलोपन का कारण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2015</td> <td>विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2016</td> <td>विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2017</td> <td>विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2018</td> <td>विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2019</td> <td>विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	साल	नाम विलोपन का कारण	1	2015	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु	2	2016	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु	3	2017	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु	4	2018	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु	5	2019	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु
क्र.स.	साल	नाम विलोपन का कारण																	
1	2015	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु																	
2	2016	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु																	
3	2017	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु																	
4	2018	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु																	
5	2019	विधानसभा क्षेत्र से स्थानांतरण अथवा वोटर की मृत्यु																	

मुनीम कुमार

घ- आरपुरम विधान सभा क्षेत्र में पिछले .के. पाँच वर्षों में 2014-15 से अब तक कितने मतदाताओं के नाम जोड़े गये; जानकारी वार्षिक रूप से विस्तार में दिया जाए;

आरपुरम विधान सभा.के. - 44 में पिछले गत पाँच वर्षों में मतदाताओं के नाम जोड़े गए जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	साल	जोड़े गए मतदाता की संख्या
1	2015	7604
2	2016	4367
3	2017	5709
4	2018	3911
5	2019	10804

ड- इस विधान सभा क्षेत्र के चार गांवों; मोहम्मदपुर, मोची गाँव, वसंत गाँव व मुनिरका गाँव के मूल निवासियों के नाम मतदाता सूची से काटने के क्या कारण हैं; और

यदि किसी निवासी के नाम का विलोपन किया जाता है तो वह उनके द्वारा (मतदाता द्वारा) या किसी आपत्तिकर्ता द्वारा (जिसका नाम उस भाग के मतदाता सूची में दर्ज हो) मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर वैधिक प्रक्रियानुसार किया जाता है। नाम विलोपन की स्थिति मतदाता के विधान सभा क्षेत्र के किसी भाग के साधारण निवासी न रहने पर (स्थानांतरित होने पर) या मतदाता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न होती है।

च- ऐसे भूलवश काटे गये नामों को पुनः सूची में जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रतिवर्ष विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) के दौरान किया जाता है। इसके अलावा पूरे वर्ष के दौरान निरंतर सुधार (Continuous Updation) भी जारी रहता है तथा समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा छूटे गए मतदाताओं हेतु विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है अपना नाम फॉर्म 6 भरकर जुड़वा सकता है।

यह दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

मुनीश कुमार

(मुनीश कुमार)

चुनाव अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. चुनाव मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली
- 2- निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-53 (150 प्रतियाँ)